

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 13/BDR/2025

किस्म मुकद्दमा: जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्री बिशम्बर सिंह राणा पुत्र खजान सिंह, निवासी चढ़ियार खास, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री बिशम्बर सिंह राणा पुत्र खजान सिंह, निवासी चढ़ियार खास, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1946 को महाल चढ़ियार खास, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-07-2025 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 05-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 :

नीरू देवी पुत्री प्रीतम सिंह, निवासी महाल धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, Through कौंसल श्री अभिषेक गुप्ता, Adv. धर्मशाला।

बनाम

1. वाल कृष्ण, 2. कपिल कुमार, 3. नवीन कुमार पुत्र व 4. विमला देवी विधवा हरनाम सिंह, 5. कपिल कुमार पुत्र सुरेश कुमार, 6. कमला देवी, रक्षा देवी पुत्रियां व 7. मनोहारी देवी विधवा रसीला निवासी महाल सुक्कड़ खास, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.—प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 221, खतौनी नं0, 283, खसरा कित्ता 4, रकबा तादादी 00-22-36 है0, वाक्या महाल सुक्कड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0, जमाबंदी साल 2018-19.

प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया नीरू देवी पुत्री प्रीतम सिंह, निवासी महाल धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, Through कौंसल श्री अभिषेक गुप्ता, Adv. धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

ने प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र/मुश्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-07-025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 17-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समारहता प्रथम श्रेणी
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समारहता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

केस नं0 : 38 / 23

विवेक महाजन पुत्र स्वर्गीय दविंदर महाजन पुत्र जुगल किशोर व सुमन बाला विधवा दविंदर महाजन, निवासी श्यामनगर रोड, गांव चरान, Through कौंसल श्री अभिषेक गुप्ता, Adv. धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

1. ओमु पुत्र व 2. ब्रहमी, 3. बिमला, 4. कमला, 5. किरना पुत्रियां चमेली, 6. शकुंतला LRS गुरध्यान, 7. प्रकाश चंद पुत्र हीरू, 8. श्रीमती वंदना विधवा देश राज, 9. नीलम, 10. आशा पुत्रियां अदालती, 11. निक्कु राम पुत्र रौनकी, 12. बबलू, 13. सोनू पुत्र निक्कु राम, 14. रचना, 15. रेशमा पुत्रियां व 16. आशा देवी पुत्रियां नन्द किशोर, 17. राजेश पुत्र व 18. स्नेह लता पुत्री वृज लाल, 19. किरण गुप्ता विधवा राकेश, 20. शलिनी पुत्री राकेश कुमार, 21. सचिन कुमार गुप्ता पुत्र राकेश कुमार, 22. बनवारी लाल पुत्र भाना माल, 23. विमला देवी विधवा ऋषि राज, 24. उत्तम चन्द, 25. प्रताप चंद पुत्र व 26. संध्या देवी पुत्री रौनकी, निवासी उप-महाल चटेहड़, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

विषय.—प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 177, खतौनी नं0, 343 ता 346, खसरा कित्ता 23, रकबा तादादी 00-68-63 है0, वाक्या उप-महाल चटेहड़, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबंदी साल 2015-16.

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी विवेक महाजन पुत्र स्वर्गीय दविंदर महाजन पुत्र जुगल किशोर व सुमन बाला विधवा दविंदर महाजन, निवासी श्यामनगर रोड, गांव चरान, Through कौंसल श्री अभिषेक गुप्ता, Adv. धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इशतहार राजपत्र/मुश्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 06-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 06-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समारहता प्रथम श्रेणी
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समारहता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-07-2025

रीता कटोच पत्नी श्री भविन्दर सिंह, निवासी गांव अद्राणा, डाकघर मरेरा, उप-तहसील आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी अद्राणा, डाकघर मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुश्री मुनादी आम जनता निवासी अद्राणा, डाकघर मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा
(हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में रीता कटोच पत्नी श्री भविन्दर सिंह, निवासी गांव अद्राणा, डाकघर मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने राजस्व अभिलेख में अपने पति के नाम दुरुस्ती करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पति का सही नाम भविन्दर सिंह है परन्तु महाल निवासी अद्राणा, डाकघर मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पति का नाम भूपिन्द्र सिंह अंकित है जोकि गलत दर्ज है। प्रार्थिया महाल मरेरा, मौजा उप-तहसील आलमपुर के राजस्व रिकॉर्ड में अपने पति के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के पति का नाम भुपिन्दर सिंह उपनाम भविन्दर सिंह दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 15-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समारहता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समारहता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-07-2025

पूरमला देवी पुत्री श्री बख्शी चन्द पुत्र नौरंग, निवासी गांव कवाल व डाकघर बालकरूपी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता मोहाल कवाल, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुश्त्री मुनादी आम जनता निवासी मोहाल कवाल, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में पूरमला देवी पुत्री श्री बख्शी चन्द पुत्र नौरंग, निवासी गांव कवाल व डाकघर बालकरूपी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम पूरमला देवी है, परन्तु महाल कवाल के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम पूरा देवी है, जोकि गलत है, जबकि प्रार्थिया का नाम अन्य दस्तावेजों पर पूरमला देवी अंकित है। प्रार्थिया महाल कवाल व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम पूरमला देवी उपनाम पूरा देवी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 15-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-07-2025

रितू देवी पुत्री श्री बख्शी चन्द पुत्र नौरंग, निवासी गांव कवाल, डाकघर बालकरूपी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता मोहाल कवाल, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुश्त्री मुनादी आम जनता निवासी मोहाल कवाल, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में रितू देवी पुत्री श्री बख्शी चन्द पुत्र नौरंग, निवासी गांव कवाल, डाकघर बालकरूपी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम रितू देवी है, परन्तु महाल कवाल के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम रतना देवी

अंकित है, जोकि गलत है, जबकि प्रार्थिया का नाम अन्य दस्तावेजों पर रितू देवी अंकित है। प्रार्थिया महाल कवाल व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम रितू देवी उपनाम रतनी देवी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 15-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 14-07-2025

सुरजीत सिंह पुत्र श्री जैसी राम, निवासी गांव गढ़ व डाकघर बरडाम एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता मोहाल गाहली, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुश्त्री मुनादी आम जनता निवासी मोहाल गाहली, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सुरजीत सिंह पुत्र श्री जैसी राम, निवासी गांव गढ़ व डाकघर बरडाम एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम सुरजीत सिंह व उसके भाई का नाम सरवन सिंह है, परन्तु महाल गाहली के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुरजीत कुमार व उसके भाई का नाम सरवन कुमार है, जोकि गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों पर सुरजीत सिंह व उसके भाई का नाम सीवन सिंह अंकित है। प्रार्थी महाल गाहली व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम सुरजीत सिंह उपनाम सुरजीत कुमार व उसके भाई का नाम सरवन सिंह उपनाम सरवन कुमार करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 14-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15-07-2025

निर्मला कुमारी पुत्री श्री बख्शी चन्द पुत्र नौरंग, निवासी गांव कवाल व डाकघर बालकरूपी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता मोहाल कवाल, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुश्री मुनादी आम जनता निवासी मोहाल कवाल, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निर्मला कुमारी पुत्री श्री बख्शी चन्द पुत्र नौरंग, निवासी गांव कवाल व डाकघर बालकरूपी, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम निर्मला कुमारी है, परन्तु महाल कवाल के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम निर्मला देवी है, जोकि गलत है, जबकि प्रार्थिया का नाम अन्य दस्तावेजों पर निर्मला कुमारी अंकित है। प्रार्थिया महाल कवाल व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम निर्मला कुमारी उपनाम निर्मला देवी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 15-07-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब-तहसीलदार) आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी श्री विकास लांधा आयु 34 वर्ष पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव भलुंदर, डाकघर लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

कोमल आयु 27 वर्ष पुत्री चन्दन सिंह, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 हाल पत्नी श्री विकास लांधा आयु 34 वर्ष पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव भलुंदर, डाकघर लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थी श्री विकास लांधा आयु 34 वर्ष पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव भलुंदर, डाकघर लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व कोमल आयु 27 वर्ष पुत्री चन्दन सिंह, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 हाल पत्नी श्री विकास लांधा आयु 34 वर्ष पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव भलुंदर, डाकघर लाहडु, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र में अन्य दस्तावेज पेश करके प्रार्थना की है कि उसकी शादी दिनांक 21-11-2021 को हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार आशीर्वाद पैलिस, वार्ड नं0 8, नजदीक डाकघर सुजानपुर टिहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 में हुआ है। लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत लाहडु में नहीं करवा सके। जिसे प्रार्थी अब करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्तरी मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री विकास लांधा व कोमल के विवाह दिनांक 21-11-2021 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर या एतराज दिनांक 15-07-2025 को पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार विवाह पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 20/तह/2025

किस्म मुकद्दमा : शादी पंजीकरण

तारीख पेशी : 16-07-2025

1. सचिन वालिया पुत्र श्री मस्त राम वालिया, गांव व डाकघर कोटलू, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

2. कृतिका वालिया पुत्री श्री कुलदीप वालिया, निवासी वी-20, विवेक विहार, तहसील व जिला होशियारपुर, पंजाब। वर्तमान पत्नी श्री सचिन वालिया पुत्र श्री मस्त राम वालिया, गांव व डाकघर कोटलू, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता महाल, ग्राम पंचायत कोटलू

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी सचिन वालिया पुत्र श्री मस्त राम वालिया, गांव व डाकघर कोटलू, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 05-10-2009 को कृतिका वालिया पुत्री श्री कुलदीप वालिया, निवासी वी-20, विवेक विहार, तहसील व जिला होशियारपुर, पंजाब के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोटलू में दर्ज नहीं करवा सके थे। जिसे प्रार्थीगण अब पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगण की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 16-07-2025 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में बाद के किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के ग्राम पंचायत सचिव कोटलू को आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 21/तह/2025

किस्म मुकद्दमा : शादी पंजीकरण

तारीख पेशी : 16-07-2025

1. अंकुर वालिया पुत्र श्री मस्त राम वालिया, गांव व डाकघर कोटलू, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

2. नेहा वालिया पुत्री श्री वेद प्रकाश गुप्ता, निवासी वी-26/27, पाण्डव नगर, दिल्ली। वर्तमान पत्नी श्री अंकुर वालिया पुत्र श्री मस्त राम वालिया, गांव व डाकघर कोटलू, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता महाल, ग्राम पंचायत कोटलू

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी अंकुर वालिया पुत्र श्री मस्त राम वालिया, गांव व डाकघर कोटलू, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि मेरी शादी दिनांक 27-11-2010 को नेहा वालिया पुत्री श्री वेद प्रकाश गुप्ता, निवासी वी-26/27, पाण्डव नगर, दिल्ली के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। लेकिन वह अनभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोटलू में दर्ज नहीं करवा सके थे। जिसे प्रार्थीगण अब पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगण की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 16-07-2025 को इस अदालत में पेश कर सकता

है। हाजिर न होने की सूरत में बाद के किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के ग्राम पंचायत सचिव कोटलू को आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

कान्ता देवी पुत्री किरपा राम, गांव व डाकघर नौशहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस बनाम आम जनता

प्रार्थिया कान्ता देवी पुत्री किरपा राम, गांव व डाकघर नौशहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जिला कांगड़ा हाल पत्नी वचित्र सिंह पुत्र नौधा राम, वासी गांव सलिहार, विकास खण्ड सुरानी, जिला कांगड़ा ने अपनी जन्म तिथि जोकि 03-09-1955 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है, जोकि जेरे समायत है। उसकी माता का नाम पार्वती देवी है।

यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /NT/25

Sh. Futti, aged 66 years (D.O.B. 01-01-1959) d/o Mr. Tsewang and w/o Mr. Shelok Tsering, r/o House No. 1040, Jogiwara Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.), 176219.

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Futti, aged 66 years (D.O.B. 01-01-1959) d/o Mr. Tsewang and w/o Mr. Shelok Tsering, r/o House No. 1040, Jogiwara Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) 176219 ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 31-10-1984 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में मृत्यु/जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Kunda Norzom d/o Mr. Shelok Tsering की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 31-10-1984 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /NT/25

Sh. Tashi Tharchin s/o Lhakpa, P.O. Tibetan Handicraft Coop. Society, H. No.-E 5/16, Opp P.O. Mcleodganj, Dharamshala (T), District Kangra (H.P.)-176215.

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Tashi Tharchin s/o Lhakpa, P.O. Tibetan Handicraft Co-op. Society, H. No.-E 5/16, Opp. P.O. Mcleodganj, Dharamshala (T), District Kangra (H.P.) 176215 ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 15-03-1975 को हुआ है परन्तु एम0 सी0

धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में मृत्यु/जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tashi Tharchin s/o Lhakpa पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025 को असातन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 15-03-1975 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Smt. Maya w/o Ajay Kumar, r/o Village Chetru, P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) 176215.

Versus

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Maya w/o Ajay Kumar, r/o Village Chetru, P.O. Bagli, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे बेटे का जन्म दिनांक 01-01-2014 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में मृत्यु/जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Sahil s/o Ajay Kumar की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025 को असातन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 01-01-2014 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Sh. Tenzin Kunsang s/o Namgyal Dakpa, r/o Kharadanda, Delek Hospital, Handicarft Center, Dharamshala, District Kangra (H.P.) 176215.

Versus

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Tenzin Kunsang s/o Namgyal Dakpa, r/o Kharadanda, Delek Hospital, Handicarft Center, Dharamshala, District Kangra (H.P.) 176215 ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 12-01-1986 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में मृत्यु/जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Kunsang s/o Namgyal Dakpa की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 12-01-1986 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Sh. Namgyal s/o Sh. Nobru, r/o House No. Bhagsu Road, Mitha Nala, P.O. Mecleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Namgyal s/o Sh. Nobru, r/o House No. Bhagsu Road, Mitha Nala, P.O. Mecleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 18-10-1982 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में

मृत्यु/जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Namgyal s/o Sh. Nobru की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 18-10-1982 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /NT/25

Sh. Tenzin Minjig s/o Sonam Phuntsok, r/o Tibetan Hand Craft Center, Mecleodganj Chakban, Bhagsunag, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Tenzin Minjig s/o Sonam Phuntsok, r/o Tibetan Hand Craft Center, Mecleodganj Chakban, Bhagsunag, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 29-09-1982 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में मृत्यु/जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Minjig s/o Sonam Phuntsok की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 29-09-1982 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Sh. Mandan Gopal Thapa s/o Jit Bhadur Thapa, V.P.O. Totarani, Dharamshala Cantt., Kangra (H.P.)-176 216.

Versus

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Mandan Gopal Thapa s/o Jit Bhadur Thapa, V.P.O. Totarani, Dharamshala Cantt., Kangra (H.P.)-176 216 ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी बेटी का जन्म तिथि 01-10-1985 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Shreya Thapa की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 01-10-1985 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 102/NT/25

Rinchen Dolma d/o Mr. Sangyal Kyab w/o Dorjee Gyaltsen, r/o Chonor House, Temple Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

Versus

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Rinchen Dolma d/o Mr. Sangyal Kyab w/o Dorjee Gyaltsen, r/o Chonor House, Temple Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ—पत्र

सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी बेटी का जन्म तिथि 18-06-2015 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Chokzey पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 18-06-2015 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 102/NT/25

Rinchen Dolma d/o Mr. Sangyal Kyab w/o Dorjee Gyaltsen, r/o Chonor House, Temple Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

Versus

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Rinchen Dolma d/o Mr. Sangyal Kyab w/o Dorjee Gyaltsen, r/o Chonor House, Temple Road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे बेटे का जन्म तिथि 25-10-2019 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Dawa s/o Dorjee Gyaltsen पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 25-10-2019 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /NT/25

Smt. Lata Malhotra w/o Vijay Kumar, r/o House No. 276 KB, Dharamshala, Tehsil
Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

Versus

General Public

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता

Smt. Lata Malhotra w/o Vijay Kumar, r/o House No. 276 KB, Dharamshala, Tehsil
Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी
माता जी की मृत्यु 31-03-1981 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है।
अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित
सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Satya Devi w/o Ram Krishan Malhotra की मृत्यु
को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025
को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र मृत्यु दिनांक
31-03-1981 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /NT/25

Banita Devi d/o Rikhi Ram r/o V.P.O. & Gram Panchayat Chetru, Tehsil Dharamshala,
District Kangra, H.P.

Versus

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Banita Devi d/o Rikhi Ram r/o V.P.O. & Gram Panchayat Chetru, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म 25-01-1978 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 25-01-1978 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : /NT/25

Kalsang Kyi d/o Sangyal, r/o H. No. Near Baba Sindhi Mandir, Majnu Ka Tila, Dehli, Pin-110054, Delhi, India.

Versus

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Kalsang Kyi d/o Sangyal, r/o H. No. Near Baba Sindhi Mandir Majnu Ka Tila, Dehli, Pin-110054, Delhi, India ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म 14-10-1996 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Kalsang Kyi d/o Sangyal की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-07-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 14-10-1996 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

केस नं0 : 09 / 2025

तारीख पेशी : 19-07-2025

श्री राजेश कुमार पुत्र मिलखी राम, गांव बर्सी, डाकघर लगडू, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। वादी।

बनाम

आम जनता गांव बर्सी, डाकघर लगडू, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0),
प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत पुखरु प्रतिवादी।

विषय.—हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

वादी श्री राजेश कुमार पुत्र मिलखी राम, गांव बर्सी, डाकघर लगडू, उप-तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-07-1984 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत पुखरु में नहीं करवाया है। इसलिए उसके जन्म पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत पुखरु को जारी किया जाए।

अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 19-07-2025 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करे। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 16-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ता0 /—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री तिलक राज पुत्र वाल चन्द, निवासी महाल लटेहड, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—मृतक श्रीमती कमला देवी विधवा वाल चन्द पुत्र सुदामा, निवासी महाल लटेहड, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जायदाद का वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने बारे।

प्रार्थी तिलक राज पुत्र वाल चन्द, निवासी गांव लटेहड, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की माता श्रीमती कमला देवी की मृत्यु 14-05-2024 को हो चुकी है। उन्होंने जीवित रहते हुए एक वसीयत नामा पंजीकरण संख्या 129/2023, दिनांक 30-11-2023 को उप-पंजीकार खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में पंजीकृत करवाया था। वसीयत नामा के अनुसार श्रीमती कमला देवी ने अपनी वसीयत अपने पुत्र श्री तिलक राज, मुलतान सिंह पुत्र वाल चन्द पुत्र सुदामा भाग बराबर के नाम की है तथा पवन कुमार पुत्र वाल चन्द के उत्ताधिकारी कुमारी शिवानी पुत्री व श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी पवन कुमार व श्रीमती सुनीता कुमारी पुत्री वाल चन्द को वंचित किया है। वसीयत नामा पंजीकरण संख्या 129/2023, दिनांक 30-11-2023 मृतक श्रीमती कमला देवी पत्नी वाल चन्द की भूमि का इन्तकाल महाल लटेहड, फरेहडा व धार चौकी में दर्ज हो चुका है, जिसे सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी खुण्डियां के द्वारा तसदीक किया जाना अभी बाकी है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि मृतक कमला देवी विधवा वाल चन्द पुत्र सुदामा, निवासी महाल लटेहड, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जायदाद का वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने बारे में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-07-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्रीमती कमला देवी विधवा वाल चन्द पुत्र सुदामा, निवासी महाल लटेहड, मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 का इन्तकाल वसीयत नामा पंजीकरण संख्या 129/2023, दिनांक 30-11-2023 के आधार पर मंजूर कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 41/C/NT/2025

तारीख पेशी : 10-07-2025

श्रीमती ब्रहमी देवी पुत्री डैम्बा, निवासी महाल गहली, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया श्रीमती ब्रहमी देवी पुत्री डैम्बा, निवासी महाल गहली, मौजा घूठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त पीहडी के राजस्व महाल गहली, मौजा घूठियालता, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम कनयातो दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर में उसका नाम ब्रहमी देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम ब्रहमी देवी उपनाम कनयातो दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-07-2025 को

असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया श्रीमती ब्रह्मी देवी पुत्री डैम्वा, निवासी महाल गहली, मौजा घूठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व पटवार वृत्त पीहडी के राजस्व महाल गहली के राजस्व अभिलेख में ब्रह्मी देवी उपनाम कनयातो दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 39 / C/NT / 2025

तारीख पेशी : 10-07-2025

श्रीमती केहरो देवी पुत्री डैम्वा, निवासी महाल गहली, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया श्रीमती केहरो देवी पुत्री डैम्वा, निवासी महाल गहली, मौजा घूठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त पीहडी के राजस्व महाल गहली, मौजा घूठियालता, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम केसरी दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर में उसका नाम केहरो देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम केहरो देवी उपनाम केसरी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-07-2025 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया श्रीमती केहरो देवी पुत्री डैम्वा, निवासी महाल गहली, मौजा घूठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व पटवार वृत्त पीहडी के राजस्व महाल गहली के राजस्व अभिलेख में केसरी उपनाम केहरो देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 40 / C/NT / 2025

तारीख पेशी : 10-07-2025

श्रीमती वरखा देवी पुत्री डैम्वा, निवासी महाल गहली, डाकघर गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया श्रीमती वरखा देवी पुत्री डैम्वा, निवासी महाल गहली, मौजा घूठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त पीहडी के राजस्व महाल गहली, मौजा घूठियालता, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम रस्मो दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर में उसका नाम वरखा देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम वरखा देवी उपनाम रस्मो दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-07-2025 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया श्रीमती वरखा देवी पुत्री डैम्वा, निवासी महाल गहली, मौजा घूठियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व पटवार वृत्त पीहडी के राजस्व महाल गहली के राजस्व अभिलेख में वरखा देवी उपनाम रस्मो दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 09-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

शारदा कुमारी पुत्री जुल्मी राम, वासी गांव व डाकघर बड़ा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया शारदा कुमारी पुत्री जुल्मी राम, वासी गांव व डाकघर बड़ा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) हाल पत्नी करतार चन्द, गांव सनोट, डाकघर व तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 01-01-1962 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

आज दिनांकको हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

शांति देवी पुत्री सकत सिंह, वासी गांव दयाल, डाकघर नेहरन पुखर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया शांति देवी पुत्री सकत सिंह, वासी गांव दयाल, डाकघर नेहरन पुखर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) हाल पत्नी रघुनाथ, गांव दयाल, डाकघर नेहरन पुखर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 20-05-1954 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

आज दिनांकको हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

शुष्मा देवी पुत्री बीरबल, वासी गांव बरवाडा, डाकघर घिओरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्त्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया शुष्मा देवी पुत्री बीरबल, वासी गांव बरवाडा, डाकघर घिओरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) हाल पत्नी कश्मीर सिंह, गांव बरवाडा, डाकघर घिओरी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 08-12-1971 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

आज दिनांकको हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

शारदा देवी पुत्री बंसी लाल, वासी महाल सूरजपुर, डाकघर ढलियारा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्त्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया शारदा देवी पुत्री बंसी लाल, वासी महाल सूरजपुर, डाकघर ढलियारा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) हाल पत्नी रविन्दर सिंह, वासी महाल सूरजपुर, डाकघर ढलियारा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 07-01-1958 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में

आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। प्रार्थिया की माता का नाम फूला देवी है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

आज दिनांकको हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

माया देवी पुत्री रोशन लाल, गांव व डाकघर धवाला, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

समस्त आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्ट्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया माया देवी पुत्री रोशन लाल, गांव व डाकघर धवाला, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) हाल पत्नी शुभकरण, गांव व डाकघर धवाला, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 06-10-1966 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

आज दिनांकको हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।